भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./77/2024 **09 अक्तूबर, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन स्वैच्छिक समापन प्रक्रियाओं को मानिटर करने के लिए प्ररूप फाइल करने के समय का विस्तारण

परिसमापकों को परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./74/2024, तारीख 28 जून, 2024 द्वारा स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया से संबंधित प्ररूप 30 सितम्बर, 2024 तक फाइल करने का निर्देश दिया गया था ।

2. इस संबंध में, परिसमापकों और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों की ओर से प्ररूप प्रस्तुत करने में तकनीकी बातों और उनमें अंतर्वलित मुद्दों को उद्धृत करते हुए इस तारीख को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

3. ऊपर उल्लिखित अभ्यावेदनों और परिसमापक द्वारा अनुभूत की जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, प्ररूपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 नवम्बर, 2024 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है ।

4. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(ओम प्रकाश)

प्रबंधक